न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 60 / 2018

RCMS No.– 2018 / 00361

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. भागीरथ तेली पुत्र बाबुलाल तेली जाति तेली निवासी बर		1 सरपंच ग्राम पंचायत बर तहसील रायपुर जिला पाली
2. यासीन शाह पुत्र करीमशाह जाति सांई मुसलमान निवासी बर तहसील रायपुर		2 कमलकिशोर पुत्र सीताराम
		3 रामस्वरूप पुत्र सीताराम जाति वैष्णव निवासी बर
		4 हरिसिंह गीला, उपप्रबन्धक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, जोधपुर

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. श्री कैलाश मकवाना, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 व 3
3. श्री सुनिल विजयवर्गीय, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 4

–: निर्णय :–

दिनांक 20/12/2019

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत, बर द्वारा पारित मिसल संख्या 25 / 2002–03 प्रस्ताव संख्या 22 दिनांक 07.08.2004 एवं उसकी पालना में माधूराम दगदी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 004600 दिनांक 07.08.2004 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें अंकित किया कि प्रार्थीगण ग्राम बर के निवासी है तथा आमजन के हितार्थ यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की हैं। ग्राम बर के खसरा नम्बर 817 की भूमि आबादी भूमि हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष मादुराम दगदी द्वारा अपने रिश्तेदार सरपंच होने के कारण पट्टा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर पंचायत ने विधिक प्रक्रिया की पालना किए बिना ही जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया है, जो विधि विरूद्ध हैं। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करने में पंचायती राज नियम 1996 के विहित प्रावधानों का दुरूपयोग करते

अति० जिला कलक्टर, पाली

हुए पट्टा जारी किया गया है। जैर निगरानी विवादित आराजी पर आवेदक का न तो कब्जा था एवं न ही कोई मकान आदि बना था। इसके बावजूद भी पंचायत द्वारा उसके पक्ष में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया है, जो विधि विरूद्ध हैं। उक्त पट्टा जारी होने के पश्चात मादुराम दगदी द्वारा इस पट्टे की आराजी को दो भागों में विभक्त करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड बेचान किया हैं। जो अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा ऊंचे दामों में अप्रार्थी संख्या 4 को बेचान की है, जो विधि विरूद्ध हैं। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में डी0एन0जे0 2009 पार्ट 1 पेज 262, डी0एन0जे0 2009 पार्ट 2 पेज 982, डी0एन0जे0 2015 पार्ट 2 पेज 595 तथा डी0एन0जे0 2016 पार्ट 3 पेज 1202 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी किसी भी रूप में प्रकरण में हितबद्ध नहीं हैं। इस कारण प्रार्थी को उक्त निगरानी याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा मूल पट्टा धारक को भी पक्षकार संयोजित नहीं किया है, इस कारण भी निगरानी खारिज़ योग्य हैं। आवेदक द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष विधि अनुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा उसके पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा विधि अनुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं हैं। जैर निगरानी पट्टे की भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा क्रय की गई है, जिस पर वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। इस प्रकार प्रकरण में जनहित का प्रश्न निहित होने के कारण भी निगरानी खारिज़ योग्य हैं। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत के रेकर्ड का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आवेदक माधूराम पुत्र हरदेवराम जाति माली द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत बर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपने कब्जासुदा भूखण्ड का पट्टा दिलाने का निवेदन किया। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की जाकर सचिव को नक्शा तैयार करने तथा पंचों को मौका निरीक्षण करने के आदेश दिए। उक्त आदेश की पालना में सचिव द्वारा नक्शा तैयार किया तथा पंचों द्वारा मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी कराने का निवेदन किया। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किए। निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा आवेदक के कब्जे की ताईद में दो गवाहों के बयान लिए जाकर कोरम में सर्वसम्मति से जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में आवेदक के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी का मुख्य उज्र रहा कि जैर निगरानी विवादित आराजी पर मूल पट्टा धारक का कोई कब्जा नहीं था, जबकि

अति० जिला कलेक्टर, पाली

मिसल के संलग्न जो गवाहों के बयान है, उनके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त गवाहों ने विवादित आराजी पर मूल पट्टा धारक का मकान निर्मित होना स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त मूल पट्टा धारक द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में जो बेचान किया गया है, उसमें भी भूमि पर कमरा आदि निर्माण होना अंकित हैं। इस कारण प्रार्थी के इस तथ्य में कोई बल नहीं है कि विवादित आराजी पर मूल पट्टाधारक का कोई कब्जा नहीं हो।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जो प्रावधान वर्णित है, उनका उद्धरण इस प्रकार है – 97. राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन की शक्ति – (1) राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और, यदि किसी भी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत होता हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया जाना या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए, तो वह तद्नुसार आदेश पारित कर सकेगी।'' इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त सन्दर्भित धारा में न्यायालय हाजा को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आज्ञा विधिकता आदि जांचने के अधिकार प्राप्त हैं। जहां तक नियमों में विहित प्रक्रिया का प्रश्न है, तो पंचायती राज नियम 1996 में जो पट्टा जारी करने की प्रक्रिया है, उसके अनुसार नियम 145 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि/छूटा हुआ भूखण्ड या भूमि की कोई पट्टी खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के व्ययों के पेटे पच्चीस रूपये की राशि जमा करानी होगी तथा आवेदन के साथ स्थल का नक्शा संलग्न नही किया गया हो तो आवेदक नक्शा तैयार करने के लिये भी पच्चीस रूपये जमा करायेगा। इसके पश्चात नियम 146 के तहत मिसल कायम करने तथा मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी मनोनीत करने तथा कमेटी द्वारा 15 दिवस के भीतर मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान है। नियम 147 के तहत अनंतिम विनिश्चिय करने एवं नियम 148 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपत्ति आमन्त्रित करने को नोटिस जारी कर प्रकाशित करने के प्रावधान है। नियम 148 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के निस्तारण के प्रावधान नियम 149 के तहत प्रदत्त है। नियम 150 के तहत भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया विहित है। नियम 151 में नीलामी समिति प्रावधित है। नियम 152 में बाजार कीमत सम्बन्धी तथा नियम 153 में संदाय एवं पुनर्विक्रय करने के प्रावधान उल्लेखित है तथा नियम 154 के तहत विक्रय की पुष्टि करने के प्रावधान है। नियम 155 के तहत कब्जा सुपुर्द करने के प्रावधान है। नियम

अति० जिला कलेक्टर, पाली

156 के तहत प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अन्तरण करने के प्रावधान हे। नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण के प्रावधान है, जिसमें 50 वर्ष से अधिकार पूर्व के निर्मित मकानों हेतु 100/– रूपये एवं इन नियमों के लागू होने की तिथि को 50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकानो हेतु 200/– रूपये जमा कराने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। नियम 158 के तहत भूमियों का कमजोर वर्गो को आवंटन के प्रावधान है। नियम 159 के तहत भूमियों का रियायती कीमत पर आवंटन तथा नियम 160 के तहत अनुमोदन के अध्यधीन अन्तरण और आवंटन के प्रावधान उल्लेखित है।

उपरोक्त सन्दर्भ में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि जैर निगरानी आज्ञा पारित करने में ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में जिसमें प्रक्रियागत त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त अब जिस कार्य हेतु भूमि उपयोग में ली जा रही है, उक्त कार्य सार्वजनिक है तथा जैर निगरानी विवादित आराजी पर वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग अवस्थित हैं। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी0एन0जे0 (राज.) 2012 (3) पेज 1330 के पैरा संख्या 6 में यह अभिनिर्धारित किया है कि "Moreover, in catena of cases, the Hon'ble Supreme Court has observed that ordinarily the Court should not interefre with public work. In case, the injunction is granted staying the construction of the infrastructure, it leads to a grave loss for the public at large, and it unnecessarily puts a burden on the State exchequer." इस परिप्रेक्ष्य में भी जैर निगरानी पट्टे की भूमि वर्तमान में सार्वजनिक कार्य की श्रेणी में परिलक्षित होने से निगरानी के जरिये इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं।

परिणाम स्वरूप निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा ग्राम पंचायत, बर द्वारा पारित मिसल संख्या 25/2002–03 प्रस्ताव संख्या 22 दिनांक 07.08.2004 एवं उसकी पालना में माधूराम दगदी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 004600 दिनांक 07.08.2004 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की सत्य प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 28/2/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली